

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर
email : higher-education@cg.gov.in
// आदेश //

123 MAR 2022

नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, दिनांक

क्रमांक एफ 3-37/2020/38-1 :: राज्य शासन एतद्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु 25 पद एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 49 पद, कुल 74 पदों के सृजन की सहमति दी जाती है।

2/ पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	वेतन मेट्रिक्स	पद संख्या	
			स्नातक स्तर पर	स्नातकोत्तर स्तर पर
1	प्राध्यापक	अकादमिक लेवल-13 A	---	22
2	सहायक प्राध्यापक	अकादमिक लेवल-10	21	03
3	प्रयोगशाला तकनीशियन	लेवल-6	02	12
4	प्रयोगशाला परिचारक	लेवल-3	02	12
योग			25	49

3/ प्रदेश के 16 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	गांग संख्या	नवीन विषय/संकाय का नाम	सीट संख्या	पद संख्या			
					सहायक प्राध्यापक	प्रयोग. तक.	प्रयोग परि.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या पी.जी. महा. दुर्ग	44	बी.एस.सी. (कम्प्युटर साईंसा)	60	1	1	1	3
			बी.काम. (कम्प्युटर एप्लीकेशन)	60	1	0	0	1
2	शासकीय महा. कला एवं विज्ञान महा. पाटन, जिला-दुर्ग	44	बी.एस.सी. (गणित, भूगोल)	60	2	0	0	2
3	शासकीय कमला देवी राठी महिला पी.जी. महा. राजनांदगाव	44	बी.एस.सी. (गणित, वनस्पति)	30	2	0	0	2
4	शासकीय विश्वनाथ यादव तामरकर पी.जी. स्वशारी महा. दुर्ग	44	बी.एस.सी. (गणित, वनस्पति)	40	2	0	0	2
5	शासकीय महाप्रभु बल्लभाचार्य पी.जी. महावि. महासमुन्द	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1

6	शासकीय ई.राघवेन्द्र राव पी.जी. विज्ञान महावि. विलासपुर	44	बी.एस.सी. बायोलाजी (क्लीनकल न्यूट्रीशियन एवं डायबेटिस)	40	1	0	0	1
7	शासकीय पी.जी. महावि. खरसिया, जिला-रायगढ़	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	2	0	0	2
8	शासकीय महावि. छूरिया जिला-राजनांदगाव	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
9	शासकीय पी.जी. महावि. डोंगरगढ़	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
10	शासकीय पी.जी. महावि. डोंगरगांव	44	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
11	शासकीय नवीन महा. मोहला जिला-राजनांदगाव	41	बी.ए. (हिन्दी साहित्य)	-	1	0	0	1
12	शासकीय महा. जनकपुर जिला कोरिया	41	बी.ए. (अर्थशास्त्र)	-	1	0	0	1
13	शासकीय महा. पटना, जिला-कोरिया	41	बी.सी.ए.	30	1	0	0	1
14	शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय कोरवा	41	बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस)	60	1	0	0	1
15	शासकीय महाविद्यालय कोण्डागांव	41	बी.सी.ए.	30	1	1	1	3
16	शासकीय टी.सी.एल. पी.जी. महावि. जॉजगीर	64	बी.ए. (लोक प्रशासन)	-	1	0	0	1
कुल					21	2	2	25

- शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 10 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या-44-मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य-(103)-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत के विकलनीय होगा।
- शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 11 से 15 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या-41-मुख्यशीर्ष उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-(103)-सरकारी कालेज और संस्थायें-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।
- शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 16 के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-(103)-सरकारी कालेज और संस्थायें-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।

4/ प्रदेश के 21 शासकीय महाविद्यालयों में शनातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने की गिनतीनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	भाग संख्या	नवीन विषय/संकाय का नाम	सीट संख्या	घन संख्या				
					प्रत्येक	सहायक प्रत्येक	प्रयोग तक	प्रयोग परि	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोल्का-मेहरा रायपुर	44	एम ए (राजनीति विज्ञान)	40	1	1	0	0	2
2	शासकीय धनश्याम सिंह गुप्त पी जी महा विद्यालय	44	एल एल एम	20	1	0	0	0	1
3	शासकीय महा बोरी जिला-दुर्ग	44	एम एस सी (रसायन शास्त्र)	20	1	0	1	1	3
4	शासकीय जे एम पी महा विद्यालय तखतपुर	44	एम एस सी (गणित)	20	1	0	1	1	3
5	शासकीय मिनी माता कन्या महा विद्यालय बलीदा बाजार	44	एम एस सी गृह विज्ञान (आहार एवं पोषण)	25	1	0	1	1	3
6	शासकीय महा अभनपुर	44	एम कॉम	30	1	1	0	0	2
7	शासकीय महा सकती	44	एम एस सी (प्राणीशास्त्र)	30	1	0	1	1	3
			एम एस सी (वनस्पतिशास्त्र)	30	1	0	1	1	3
8	शासकीय अणुसेन महा विद्यालय जिला-दिलारपुर	44	एम एस सी (वनस्पतिशास्त्र)	25	1	1	1	1	4
9	शासकीय बी सी एस पी जी महाविद्यालय घमतरी	44	एम ए (अंग्रेजी)	40	1	0	0	0	1
10	शासकीय महाविद्यालय मस्तुरी	44	एम एस सी (रसायन शास्त्र)	20	1	0	1	1	3
11	शासकीय महाविद्यालय पच्छलगाव जिला-जशपुर	44	एम ए (राजनीतिशास्त्र)	30	1	0	0	0	1
12	शासकीय दूर महिला पी जी महाविद्यालय रायपुर	44	पी जी डिप्लोमा इन रिसर्च मेथेडोलाजी एण्ड स्टैटिस्टिक एनालिसिस	15	1	0	1	1	3
13	शासकीय महाविद्यालय उभरा जिला-जाजगीर, चापा	44	एम ए (समाजशास्त्र)	30	1	0	0	0	1
14	शासकीय महाविद्यालय शिमगा	44	एम एस सी (गणित)	20	1	0	0	0	1
15	शासकीय ई राघवेंद्र राव पी जी विद्यालय महाविद्यालय जिला-दिलारपुर	44	एम एस सी (कम्प्यूटर साइंस)	30	1	0	1	1	3
16	शासकीय पी जी महाविद्यालय जगदलपुर	44	एम ए (लोकप्रशासन)	20	1	0	0	0	1
17	शासकीय महा जनकपुर	41	एम ए (राजनीति शास्त्र)	20	1	0	0	0	1
18	शासकीय पी जी महाविद्यालय नारायणपुर	41	एम एस सी (रसायनशास्त्र)	20	1	0	1	1	3

19	शासकीय विधीपाला कन्या महाविद्यालय कोरबा	41	एम ए (भूगोल)	30	1	0	0	0	1
20	शासकीय कन्या पी जी महाविद्यालय जशपुर	41	एम एस सी (कम्प्यूटर साईंस)	30	1	0	1	1	3
21	शासकीय महाविद्यालय नवामढ़ जिला-जाजगीर चापा	64	एम एस सी (पापीशास्त्र)	40	1	0	1	1	3
कुल					22	3	12	12	49

1. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 01 से 16 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या-44-मुख्य शीर्ष उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0101-राज्य आयोजना सामान्य- (103)-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद अंतर्गत के विकलनीय होगा।
 2. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 17 से 20 तक के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या-41-मुख्यशीर्ष उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-(103)-सरकारी कालेज और संस्थायें-798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।
 3. शासकीय महाविद्यालय क्रमांक 21 के उपरोक्त पदों का व्यय मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-(03)-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-0103-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-(103)-सरकारी कालेज और संस्थायें-798-कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 5/ उपरोक्त आदेश में किसी प्रकार की विसंगति होने पर या महाविद्यालय में उपरोक्त में से कोई विषय/पाठ्यक्रम पूर्व से स्वीकृत होने अथवा महाविद्यालय को संबंधित विषय/पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं होने पर प्राचार्य की जवाबदारी होगी कि आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर उच्च शिक्षा संचालनालय को ई-मेल से अथवा विशेष वाहक के हस्ते सूचित करेंगे।
- 6/ जिन महाविद्यालयों में उपरोक्त स्वीकृत विषय/पाठ्यक्रम का संचालन जनभागीदारी अथवा स्व-वित्तीय मद से किया जा रहा है, उन्हें इसी सत्र 2022-23 से नियमित विभागीय विषय/संकाय/पाठ्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जायेगा तथा जनभागीदारी/स्व-वित्तीय व्यवस्था को तत्काल बन्द किया जायेगा।
- 7/ उपरोक्त सहमति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2022-38-00203, दिनांक 21.03.2022 अनुसार दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव


छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

//5//

पृ. क्रमांक एफ 3-37/2019/38-1
प्रतिलिपि :-

अटल नगर, रायपुर, दिनांक 12 3 MAR 2022

1. माननीय मंत्री जी के विशेष सहायक, उच्च शिक्षा विभाग, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
2. निज सहायक, सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय से प्राप्त ज्ञापन क्रमांक 76/10/आउशि/योजना/2020-21, दिनांक 17.08.2021 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. संबंधित प्राचार्य
- की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. आर्डर फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग